प्रकाशचन्द V/S नित्यानन्द

24/2/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष व उनके अधिवक्ता दोनों में से कोई उपस्थित नहीं आया। आवाज लगाई गई। बार बार आवाज दी कोई उपस्थित नहीं आया। अतः पार्टी इसी स्तर पर अदम पैरवी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 14:44:56 IST
Reason: SelfAttested